अत्यावश्यक

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या न0नि0–50–15 / 2025.....3068

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 8.7.25

विषय :– पंचायत उप निर्वाचन, 2025 में मतदान तथा मतगणना के तिथि को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु जिला / प्रखंड में उपलब्ध मास्टर ट्रेनर की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग:– आयोग का पत्रांक–2947 दिनांक–30.06.2025 एवं BEL का पत्रांक–5870/MCS/EM/SEC/Count-2025 Date-07.07.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा मतदान तथा मतगणना की तिथियों को BEL के अभियंताओं की सेवाएं प्रत्येक जिले को उपलब्ध करायी गयी है। उप निर्वाचन होने के कारण प्रत्येक प्रखंड में समान संख्या में ई.वी.एम. का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्रखंड में अलग–अलग पदों पर निर्वाचन का कार्य हो रहा है।

आम निर्वाचन की तुलना में कम संख्या में ई.वी.एम. में मतदान एवं मतगणना की जानी है, अतः समीक्षोपरान्त अनुमंडल मुख्यालय स्तर पर BEL के अभियंताओं की सेवाएं मतगणना के दिन प्रदान करने हेतु पूर्व से प्रतिनियुक्त 44 अभियंताओं के अतिरिक्त 43 अभियंताओं की सेवा की अधियाचना BEL की गयी थी, परन्तु कतिपय कारणों से तत्काल यह सेवा उपलब्ध कराने में उनके द्वारा असमर्थता बताई गयी है।

ऐसी स्थिति में केन्द्रीय स्तर पर प्रत्येक जिलों को BEL के अभियंताओं की सेवाएं प्रदान की गयी है चूकि BEL के अभियंताओं की संख्या सीमित है। अतः एक ही समय पर जिले के प्रत्येक प्रखंड में मतदान एवं मतगणना की तिथि को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पायेगी।

उक्त वर्णित स्थिति में जिला / प्रखंड में उपलब्ध मास्टर ट्रेनर को मतदान एवं मतगणना की तिथि को कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जाये। प्रतिनियुक्ति में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाए–

1. BEL के अभियंताओं का प्रतिनियोजन ऐसे प्रखंडों में किया जाए जहाँ अधिकतम मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन कार्य कराया जा रहा हो। ठीक इसी प्रकार मतगणना के दिन भी इनका प्रतिनियोजन ऐसे मतगणना केन्द्रों पर रहेगी जहाँ अधितम संख्या में ई.वी.एम. की गिनती होनी है।
2. जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रतिनियोजन वरीयता क्रम में BEL के अभियंताओं के पश्चात वाले मतदान एवं मतगणना केन्द्रों पर की जायेगी।
3. प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रतिनियोजन सबसे कम संख्या वाले मतदान केन्द्रों एवं मतगणना केन्द्रों पर की जायेगी।
4. मास्टर ट्रेनर एवं BEL के अभियंता आपस में समन्वय स्थापित रखेगे तथा किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उसे आपसी समझ से दूर करेंगे।
5. यदि तकनीकी समस्या दूर नहीं हो सके तथा मतदान / मतगणना करना असंभव हो, तो मतदान की तिथि को प्रोटोकॉल के अनुसार नये ई.वी.एम. से प्रतिस्थापित किया जाए तथा मतगणना की तिथि को तकनीकी समस्या दूर नहीं हो सके, तो BEL के अभियंता से ही इसका प्रमाण पत्र विधिवत् जाँचोपरान्त प्राप्त किया जाए।
6. BEL के अभियंता जहाँ प्रतिनियोजित हो वहाँ जिला प्रशासन की तरफ से वाहन की व्यवस्था की जायेगी ताकि मास्टर ट्रेनर के स्तर से तकनीकी समस्या ठीक न हो सके, तो उन्हें त्वरित गति से समस्या स्थल पर पहुँचाया जा सके और पुनः उनके मूल प्रतिनियोजन स्थल पर वापस लाया जा सके।

इस आशय का निदेश सभी निर्वाची पदाधिकारी को अपने स्तर से तत्काल देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–15/2025 3068 पटना, दिनांक– 8.7.25

प्रतिलिपि– Anil Kumar Soans, Sr.DGM (Marketing/EM)BHARAT ELECTRONICS LIMITED BENGALURU-560013, E-mail-aksoans@bel.co.in सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि आयोग के उक्त निर्णय से प्रतिनियुक्त सभी अभियंताओं को सूचित करने की कृपा की जाए।

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–15/2025 3068 पटना, दिनांक– 8.7.25

प्रतिलिपि :– श्री सत्यजीत कुमार पाठक, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री मनीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी लेखा शाखा बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक– न0नि0–50–15/2025 3068 पटना, दिनांक– 8.7.25

प्रतिलिपि :– 1. सभी नोडल पदाधिकारी, ई.वी.एम. कोषांग, बिहार राज्य बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री नीतिश कुमार, आई.टी. प्रबंधक, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/श्री राहुल कुमार, प्रबंधक, एस.ई.आर./श्री विकास सिन्हा, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।